संख्या– 115 /XV-3/2019-08(18)/2018

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 11 मार्च, 2019

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य)

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में नाबार्ड की RIDF-XVIII से XXIV योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों की स्वीकृत परियोजना हेतु नाबार्ड द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या–83/01(110)-2016/XXVII(1)/2019, दिनांक 29.01.2019 एवं आपके पत्र संख्या–1398/नाबार्ड/2018–19, दिनांक 13.06.2018 के क्रम में सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–राबै.उत्तराखण्ड/2880/एडी (एलओएस)–15/2018–19, दिनांक 29.01.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मत्स्य विभाग में राज्य योजनान्तर्गत नाबार्ड पोषित RIDF-XVIII से XXIV योजनान्तर्गत संलग्नक **परिशिष्ठ–'क'** की तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित जनपद चमोली के मण्डल स्थान में 01 ट्राउट हैचरी की स्थापना के कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को गठित आगणन के अनुसार कार्यदायी संस्था नामित करते हुए स्तम्भ–7 की कुल धनराशि रू० 486.99 लाख के सापेक्ष स्तम्भ–9 में ऋृण के रूप में अनुमोदित कुल धनराशि रू० 462.64 लाख में से स्तम्भ–11 के अनुसार प्रथम किश्त 30 प्रतिशत मोबलाइजेशन एडवांस के रूप में धनराशि रू० 138.792 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष में स्तम्भ–13 के अनुसार **रू० 138.792 लाख (रू० एक करोड़, अड़तीस लाख नवासी हजार दो सौ मात्र)** की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु अनुबंधित कार्यदायी संस्थां को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(2) संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय इन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में राज्य योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII (1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व अन्य सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(4) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी **Allotment ID** की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(5) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण व्यवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(7) कार्य हेतु अनुमोदित आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

क्रमशः.....2

(8) धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(10) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

(11) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्व रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर **उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति** योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के **फोटोग्राफ** सहित संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(14) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजीगत मद में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन, –**98 01 नाबार्ड पोषित योजनाएँ**–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–250/XXVII-4/2019, दिनांक 06 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु **Allotment ID- S1903280076,** दिनांक 06.03.2019 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 115 (|)/XV-3/2019-08(18)/2018,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4/अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चमोली।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रबहादुर)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–115/XV-3/2019-08(18)/2018, दिनांक 11 मार्च, 2019 का संलग्नक

RIDF- XXIV- Trout Hatchery Projects

Amount in Rs. Lakh

Sr. No.	PIC	Name of Project	Type of Projects	District	Construction Agency	Total Cost	Balance Cost (TFO)	RIDF Loan Sanctioned	Further State Govt. Contrib.	Amount of Advance Eligible for Release (30% of Col.9)	Amount of Advance Requested for Release	Amount of Advance to be Released In Fy 2018-19
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	P201921000000000003	Setting up Trout Hatchery at Mandal Gopeshwar, Distt. Chamoli which includes Construction of Office building, Hatchery, Sedimenttation Tank, Nursery Raceways ponds, Breeding ponds, Purnp house, retaining walls, internal roads, drainage, external electric etc.	Inland Fisheries	Chamoli	Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikash evam Nirman Nigam	486.99	486.99	462.64	24.350	138.792	138.792	138.792
	Total					**486.99**	**486.99**	**462.64**	**24.350**	**138.792**	**138.792**	**138.792**

अवमुक्त की जा रही कुल धनराशि रूपये 138.792 लाख (रूपये एक करोड़, अड़तीस लाख नवासी हजार, दो सौ मात्र)

(चन्द्रबहादुर)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - **115/XV-3/2019-08(18)/2018**

अलोटमेंट आई डी - **S1903280076**

अनुदान संख्या - **028** ✓

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Mar-2019

HOD Name - Director Fisheries (4362)

: लेखा शीर्षक ✓4405 - मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय 00 -

✓101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

✓98 -

01 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
✓42 - अन्य व्यय	17007900	13879200	30887100
	17007900	**13879200**	**30887100**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 13879200